प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा बिहार में संचालित किए जा रहे पीपापुल से 5(पॉच) मेट्रिक टन तक भार वाले (वाहन भार सहित) का ही परिचालन एवं स्पीड लिमिट 10 कि॰मी॰/घंटा ही सुरक्षित है। 5 (पॉच) मेट्रिक टन से अधिक भारवाले वाहन (यथा–निर्माण सामग्री से लदा हुआ ट्रैक्टर, ओवरलोडेड सवारी गाड़ी, ट्रक आदि) एवं 10 कि॰मी॰/घंटा से अधिक गति से जानेवाले वाहनों का पीपा पुल से आवागमन असुरक्षित है जो भयंकर दुर्घटना एवं जान माल की हानि का कारण हो सकता है। पीपा पुलो की सूची निम्नवत है :–

1. पटना जिलान्तर्गत दानापुर से पानापुर के बीच पीपापुल।
2. पटना जिलान्तर्गत कच्ची दरगाह से रूस्तमपुर (राघोपुर) के बीच पीपापुल।
3. पटना जिलान्तर्गत ग्यासपुर से कालादियारा के बीच पीपापुल।
4. पटना जिलान्तर्गत महात्मा गाँधी सेतु के समानान्तर गाय घाट से तेरसिया के बीच पीपापुल।
5. भोजपुर जिलान्तर्गत महुली घाट से सिताब दियारा के बीच पीपापुल।
6. बक्सर जिलान्तर्गत नैनीजोर ग्राम (बिहार घाट) से हल्दी ग्राम के बीच पीपापुल।
7. भागलपुर जिलान्तर्गत नौगछिया से ढोलबजीया बाजार के बीच संचालित पीपापुल।
8. सारण जिलान्तर्गत कसमर दियारा से पहलेजा घाट के बीच पीपापुल।
9. पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत पुजहा घाट से श्रीनगर जगीराहा घाट (ठकराहा प्रखंड) के बीच पीपापुल।
10. वैशाली जिलान्तर्गत जमीनदारी घाट से चकोसन घाट के बीच पीपापुल।

अतः सर्वसाधारण से अनुरोध है कि पीपापुलो पर उपरोक्त निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय ताकि दुर्घटना एवं जान माल की हानि से बचा जा सके।

ह॰/–

प्रबंध निदेशक
बि॰रा॰पु॰नि॰नि॰लि॰, पटना।

ज्ञापांकः– 832 पटना/ दिनांकः– 26-04-2021

प्रतिलिपि :– आई॰टी॰मैनेजर–सह–वेबसाइट इन्चार्ज / नोडल पदाधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.4.2021

प्रबंध निदेशक
बि॰रा॰पु॰नि॰नि॰लि॰, पटना।

26.4.2021